न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2008/00006

रंगलाल आयु 70 वर्ष आत्मज सकराम उर्फ सकरया जाति मीणा निवासी गुढा गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कंवर लाल
2. धन्नाराम
3. भंवर लाल
4. खाना
5. दयाराम पिसरान भवाना जाति मीणा निवासीगण ग्राम गुढा गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 20.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2008 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 136/1 रकबा 02 बीघा भूमि स्थित है । इस भूमि के एक ओर खसरा नम्बर 137 तथा दूसरी ओर खसरा नम्बर 134 व 135 है । खसरा नम्बर 136/1 एवं 137 के मध्य खसरा नम्बर 136 मिन रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा रास्ते के काम आ रही है । खसरा नम्बर 136 मूल रूप से 03 बीघा 17 बिस्वा का रकबा है जिसमें से खसरा नम्बर 134 व 135 के सहारे की 02

बीघा भूमि दिनांक 14.06.1981 को वादी रंगलाल के नाम पर आवंटित हुई थी तथा खसरा नम्बर 136 की शेष 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि में रास्ता निकला हुआ है । वादी को आवंटित भूमि का खसरा नम्बर 136/1 अंकित किया गया है जबकि शेष रकबा जो रास्ते के काम आ रहा है उसके खसरा नम्बर 136 मिन अंकित किया हुआ है । वादी खसरा नम्बर 136/1 रकबा 02 बीघा पर आवंटन की तिथि से पूर्व निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि पर वादी को अभी तक गैर खातेदार दर्ज कर रखा है जबकि वह वैधानिक रूप से खातेदार बन चुका है । वादी एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमियों के मध्य 136 मिन रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा रास्ता है जो लगभग 12 फीट चौडा है लेकिन प्रतिवादीगण की नियत में अन्तर आ गया है और वे जबरन उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते हैं । प्रतिवादी कंवर लाल ने वादी के नाम आंवटित आराजी का आवंटन निरस्त करने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें वादी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 10.04.1997 के द्वारा अपील स्वीकार कर वादी के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को बहाल रखा । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी कंवर लाल ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में प्रार्थना पत्र संख्या 08/1997/बून्दी प्रस्तुत किया जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 07.03.2002 के द्वारा खारिज कर दिया । इस प्रकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.04.1997 बहाल रहा है । वादी उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम गोकुलपुरा की आराजी खसरा नम्बर 136/1 रकबा 02 बीघा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर अतिकमण नहीं करें, वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2008 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2008 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने आरआरडी 1996 पेज 567 का हवाला देते हुए वाद खारिज कर दिया एंव प्रकरण में तथ्यों का अभाव होना प्रकट किया जबकि वादी ने सभी तथ्य स्पष्ट कर दिये थे जिन पर परीक्षण न्यायालय ने गौर नहीं किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गोकुलपुरा की आराजी खसरा नम्बर 136 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 02 बीघा भूमि दिनांक 14.06.1981 को अपीलान्ट वादी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित हुई थी जिसका खसरा नम्बर 136/1 कायम किया गया तथा शेष रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा 136 मिन अंकित किया हुआ है जो रास्ते के काम आ रहा है । दिनांक 13.09.2002 को प्रतिवादी के अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया किन्तु दिनांक 28.12.2002 को एकपक्षीय आदेश हो गया । वादी के आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत कार्यवाही राजस्व मण्डल तक खारिज की जा चुकी है । परीक्षण न्यायालय ने आरआरडी 1996 पेज 567 का हवाला देते हुए वाद खारिज कर दिया एंव प्रकरण में तथ्यों का अभाव होना प्रकट किया जबकि वादी ने सभी तथ्य स्पष्ट कर दिये थे जिन पर परीक्षण न्यायालय ने गौर नहीं किया । परीक्षण न्यायालय ने वादी अपीलान्ट को वैधानिक अनुतोष प्रदान नहीं कर अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2008 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2019 (2) पेज 1489, आरआरडी 1996 पेज 525, आरआरडी 1995 पेज 628 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी परीक्षण न्यायालय में वाद पेश किया था जिसमें उनके द्वारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस नहीं दिया है । वादी अपीलान्ट गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं । गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने के लिए अलग से नियम बने हुए हैं । वादी अपीलान्ट को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकर प्रदत्त नहीं किये जा सकते। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2008 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय में नकल जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 प्रदर्श– पी–2 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गोकुलपुरा की आराजी नया खाता संख्या 259 में खसरा नम्बर 136/1 की रकबा 02 बीघा भूमि रंगलाल वल्द शंकरया के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श– पी' 3 संलग्न है । फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस संलग्न है । फोटो प्रति न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.04.1997 संलग्न है । फोटो प्रति माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7 मार्च, 2002 संलग्न है ।

10. वादी की ओर से बयान रंगलाल पीडब्ल्यू–1, मूलचन्द पीडब्ल्यू–2, रामनारायण पीडब्ल्यू– 3 कराये गये हैं ।

11. वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 136/1 रकबा 02 बीघा जो उनके गैर खातेदारी में दर्ज है पर खातेदारी घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने खारिज कर दिया । प्रस्तुत प्रकरण में

वादी अपीलान्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने तथा स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि ग्राम गोकुलपुरा की आराजी नया खाता संख्या 259 में खसरा नम्बर 136/1 की रकबा 02 बीघा भूमि रंगलाल वल्द शंकरया के गैर खातेदारी में दर्ज है । इस प्रकार उक्त भूमि वादी को आवंटित हुई थी परन्तु उक्त राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज नहीं की गई है । उक्त भूमि वर्तमान में भी आवंटी के गैर खातेदारी में दर्ज है । राजस्व रिकॉर्ड को समय–समय पर दुरूस्त रखने का कार्य राजस्व अधिकारियों को करना चाहिए । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट को आवंटित हुई है और आवंटन के आधार पर ही उक्त भूमि आवंटी के गैर खातेदारी में दर्ज है । परन्तु पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 06 का कोई जवाब अथवा तहसीलदार की कोई मौका रिपोर्ट आदि नहीं है । अतः पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों से यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट आराजी खंसरा नम्बर 136/1 रकबा 02 बीघा का गैर खातेदार है, परन्तु ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि अपीलान्ट आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना कर रहा है अथवा नहीं ? उपलब्ध रिकॉर्ड से आवंटित भूमि की स्पष्ट तरमीम भी मानचित्र में नहीं है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि वर्तमान में विवादित भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी राजस्व न्यायालय में कोई अपील लम्बित नहीं है । उपर्युक्त स्थिति में परीक्षण न्यायालय वादग्रस्त आराजी को मौके की वर्तमान स्थिति बाबत् सम्बन्धित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करते हुए एवं अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवंटन की पत्रावली को तलब कर आवंटन पत्रावली में आवंटी द्वारा शर्तो की पालना हुई या नहीं आदि समस्त तथ्यों पर स्पष्ट विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, परन्तु परीक्षण न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों पर गौर नहीं कर आवंटन नियमों का तथा विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण की स्थिति का स्पष्ट नहीं होने का हवाला देकर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2008 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी की वर्तमान मौका रिपोर्ट सम्बन्धित तहसीलदार से प्राप्त कर, आवंटन पत्रावली का मंगवाया जाकर आवंटन नियमों का अवलोकन कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से पुनः निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा